सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

शरद कुमार शर्मा
शोधकर्ता, शिक्षा संकाय
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

डॉ. असरारूल गनी
प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
एन.ई.एस.शिक्षा महाविद्यालय, होशंगाबाद

प्रस्तावना

शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का मुख्य कार्य शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हुए वांछित व्यवहारों का विकास करना है। बालक के व्यवहार परिवर्तन के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अधिगम अनुभव प्रभावपूर्ण हैं अथवा नहीं। अतः मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन आधार स्तम्भ हैं– शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन। इस रूप में मूल्यांकन एक विस्तृत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

कोठारी कमीशन (1966) ने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''मूल्याकंन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है।''

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मूल्यांकन की व्याख्या अत्याधुनिक तरीके से इस प्रकार की है–

मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्थित और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो निम्नांकित तीन बातों का संबंध निश्चित करती है–

1. पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है।

2. कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम–अनुभव कितने प्रभावशाली रहे है?

3. शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है?

इन बिन्दुओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्यांकन का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना है।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वागीण विकास है। सर्वागीण विकास का तात्पर्य बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक, सामाजिक आदि पक्षों से है। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए एन सी एफ–2005 में परीक्षा सुधार व अमल हेतु सुझाव दिए गए है तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को पूरी आत्मा के साथ लागू करने की वकालत की गई है। ताकि बच्चों को इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जा

सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निरंतर और नियमित मूल्यांकन होता है और यह प्रक्रिया सीखने–सिखाने के साथ–साथ चलती रहती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों के साथ सह–शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जा चुका है, जिसके अनुसार शासकीय विद्यालयों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही विद्यार्थी की उपलब्धि आंकलित की जाती है, परंतु शाला में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपने उद्देश्यों की पूर्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक कि शिक्षक पूरी इच्छा शक्ति एवं मन से प्रेरित होकर सही तरीके से लागू न करें। अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति को जानना आवश्यक है। इसी कारण शोधकर्ता ने वर्तमान समस्या का चयन शोध कार्य हेतु किया है।

उद्देश्य–

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. शासकीय विद्यालय/अशासकीय विद्यालय/समग्र पुरूष एवं महिला शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ–

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. शासकीय विद्यालय/अशाकीय विद्यालय/समग्र पुरूष एवं महिला शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति मे कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श –

न्यादर्श के रूप में होशंगाबाद जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 6–8) में कार्यरत 140 शिक्षकों ख्0 शासकीय (35 पुरूष+ 35 महिला) + 70 अशासकीय (35 पुरूष+ 35 महिला), का चयन साधारण यादृच्छिक विधि से किया गया।

उपकरण –

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रदत्त संकलन हेतु डॉ. विशाल सूद एवं डॉ. श्रीमती आरती आनंद द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति' का उपयोग किया गया है।

शोध विधि –

सर्वप्रथम होशंगाबाद जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत 140 शिक्षकों (70 शासकीय और 70 अशासकीय) का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। चयनित शिक्षकों पर 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति' मापनी का प्रशासन किया गया एवं प्राप्तांको के आधार पर मास्टर शीट तैयार की गई। मध्यमान, मानक विचलन, एवं क्रांतिक अनुपात परीक्षण के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये एवं तद्नुसार सुझाव प्राप्त किये गये।

परिणामों का विश्लेषण –

परिकल्पना 1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नही है।

तालिका 1

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक परिणाम–

समूह	विद्यालय का प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पी मान
पुरूष	शासकीय	35	62ण्38	5ण्83	2ण्42	ढ0ण्05
	अशासकीय	35	65ण्43	4ण्68		
महिला	शासकीय	35	63ण्68	5ण्17	2ण्62	ढ0ण्05
	अशासकीय	35	66ण्28	2ण्76		
समग्र	शासकीय	70	63ण्03	5ण्38	3ण्76	ढ0ण्01
	अशासकीय	70	65ण्85	3ण्37		

स्वतंत्रता के अंश कि त्र 68ए138 **0ण्05 पर सार्थकता = 2ण्00ए1ण्98**

0ण्01 पर सार्थकता = 2ण्63ए2ण्61

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयो के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 2ण्42ए 2ण्62ए 3ण्76 स्वतंत्रता के अंश 68ए 68ए 138 पर सार्थकता के 0ण्05ए 0ण्05ए 0ण्01 स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम मान 2ण्00ए 2ण्00ए 2ण्61 की अपेक्षा अधिक है।

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा अशासकीय विद्यालयों के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति उच्च अभिवृत्ति पाई गई।

परिकल्पना 2 शासकीय विद्यालय/अशासकीय विद्यालय/समग्र पुरूष एवं महिला शिक्षकों की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2

पुरूष एवं महिला शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पी मान
शासकीय	पुरूष	35	62ण्38	5ण्83	0ण्99	झ0ण्05
	महिला	35	63ण्68	5ण्17		
अशासकीय	पुरूष	35	65ण्43	4ण्68	0ण्93	झ0ण्05
	महिला	35	66ण्28	2ण्76		
समग्र	पुरूष	70	63ण्90	5ण्44	1ण्38	झ0ण्05
	महिला	70	64ण्98	3ण्72		

स्वतंत्रता के अंश कि त्र 68ए138 **0ण्05 पर सार्थकता स्तर = 2ण्00ए1ण्98**

0ण्01 पर सार्थकता स्तर = 2ण्63ए2ण्61

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि शासकीय विद्यालयों के/अशासकीय विद्यालयों के/ समग्र पुरूष एवं महिला शिक्षकों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात के मान क्रमशः 0ण्99ए 0ण्93ए 1ण्38 स्वतंत्रता के अंश 68ए 68ए138 पर सार्थकता के स्तर 0ण्05 के लिए निर्धारित न्यूनतम मान 2ण्00ए 2ण्00ए 1ण्98 की अपेक्षा कम है।

अतः उपरोक्त परिणामो के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शासकीय विद्यालयों के/ अशासकीय विद्यालयों के/ समग्र पुरूष एवं महिला शिक्षको की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नही पाया गया।

निष्कर्ष –

1. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया तथा अशासकीय विद्यालयों के पुरूष/महिला/समग्र शिक्षकों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति उच्च अभिवृत्ति पाई गई।

2. शासकीय विद्यालयों के/ अशासकीय विद्यालयों के/ समग्र पुरूष एवं महिला शिक्षको की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

सुझाव–

1. वर्तमान शोध से स्पष्ट है कि अशासकीय विद्यालयों की शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रति अभिवृत्ति उच्च है। शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में सुधार हेतु उन्हें राज्य स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाना चाहिए।

2. शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित उचित सामग्री एवं मार्गदर्शिका प्रदान की जानी चाहिए। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु आवश्यक समस्त साधन शाला में उपलब्ध कराए जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अस्थाना, विपिन (1999). ''मनोविज्ञान एवं शिक्षा में मूल्यांकन'' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
- शर्मा, आर.ए. (1993). ''मापन एवं मूल्यांकन'', ईगल बुक्स इन्टरनेशल, बी.सी.बाजार, मेरठ.
- सोनी रामगोपाल (2014). ''उद्योन्मुख समाज में शिक्षक'', एच.पी.भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल (2011). ''सामर्थ्य'', मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
- Sharma, Kusum (2013). "Attitude of teacher's towards continuous Comprehensive Evaluation", Scholarly research journal for Interdisciplinary studies, Vol.-I, Issue-I July-August 2013, Page 1570-1585.
- Singh, Avtar (2010). Grading system for school. Journal of Indian education. Vol 2. No. 4. pp105-111.